भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-350

उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

भारतीय स्नातकों की रोजगार पाने की क्षमता

†***350. श्री गौरव गोगोई:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्नातक कौशल सूचकांक 2025 के अनुसार केवल 42.6 प्रतिशत भारतीय स्नातक ही रोजगार पाने के योग्य हैं;

(ख) विभिन्न कौशल विकास पहलों के बावजूद रोजगार पाने की कम दर से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हाल ही में स्नातक छात्रों के गैर-तकनीकी कौशल में सुधार लाने के लिए कोई उपाय करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार एआई, साइबर सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार पाने की क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगले पांच वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों सहित रोजगार पाने की क्षमता की दर में सुधार करने की समय-सीमा अथवा रूपरेखा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ.): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्य श्री गौरव गोगोई द्वारा भारतीय स्नातकों की रोजगार पाने की क्षमता के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 350 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड.): रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में आधिकारिक आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के संबंध में अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है।

इसका ब्यौरा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, जिसे https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है:

भारत सरकार ने छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 का शुभारंभ किया है। एनईपी का उद्देश्य देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और उसे बेहतर बनाना है, ताकि एक समावेशी, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली स्थापित की जा सके, जिससे शिक्षार्थियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

एनईपी स्कूल और उच्चतर शिक्षा में व्यावसायिक और व्यावहारिक कौशल को अंतः स्थापित करके, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कठोर विभाजन समाप्त करके मुख्यधारा की शिक्षा के साथ कौशल विकास को एकीकृत करने पर जोर देती है।

छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) जारी किया है, जो कौशल शिक्षा को शिक्षा जगत में एकीकृत करने में सक्षम बनाता है। यह कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, मूल्य परिवर्धन पाठ्यक्रम, योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता और परियोजनाओं के साथ-साथ जैसे विविध क्षेत्रों के माध्यम से क्रेडिट संचयन को भी सक्षम बनाता है। इस एनसीआरएफ में कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपेक्षित कुल क्रेडिट के अधिकतम 50% के संचयन का भी प्रावधान है। इन प्रावधानों ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों

को छात्रों को प्रासंगिक ज्ञान प्रदान करने में सक्षम बनाया है जिससे वे उन्हें उद्योग जगत के लिए तैयार किया जा सकें।

इसके अलावा, यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा दी जाने वाली अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रमों को लागू करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, ताकि अध्ययन की अवधि के दौरान व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सके, जिसका उद्देश्य स्नातकों की दक्षता में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार प्रदान करना है।

यूजीसी ने फरवरी 2024 में "स्नातकपूर्व छात्रों के लिए प्रशिक्षुता/शोध प्रशिक्षुता हेतु दिशानिर्देश" भी पेश किए, जिसका उद्देश्य रोजगार क्षमता में सुधार करना और शोध के प्रति रुचि विकसित करना है।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और तकनीकी छात्रों को उद्योग प्रासंगिक ज्ञान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- कृत्रिम मेधा, डेटा विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग (वीएलएसआई डिजाइन और प्रौद्योगिकी), रोबोटिक्स और कृत्रिम मेधा आदि क्षेत्रों में मॉडल पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम संशोधन समितियों में उद्योग हितधारकों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
- छात्रों और संकाय सदस्यों की प्रशिक्षुता, कौशल विकास और नए कौशल सीखने की सुविधा के लिए अग्रणी उद्योगों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल प्रशिक्षुता दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। प्रशिक्षुता विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई द्वारा जारी मॉडल पाठ्यक्रम का अनिवार्य घटक है। ये दिशानिर्देश पूर्णकालिक या अंशकालिक प्रशिक्षुता प्रदान करते हैं।
- एआईसीटीई द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच संबंध को सुगम बनाने के लिए उद्योग अकादमिक गतिशीलता ढांचा शुरू किया गया, जिससे शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को सुगम बनाया जा सके।
- नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, देश भर में 16,000 से अधिक संस्थान नवाचार परिषदें (आईआईसी) स्थापित की गई हैं, जो 1 लाख से

अधिक संकाय सदस्यों और 1.5 लाख छात्रों को नवाचार और उद्यमिता गतिविधियों में शामिल कर रही हैं।

- एआईसीटीई की कपिला पहल (आईपी साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम) वित्तीय सहायता प्रदान करती है और पेटेंट दाखिल करने को प्रोत्साहित करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जागरूकता पैदा करती है। कपिला ने 10,000 से अधिक पेटेंटों को वित्त पोषित किया है।

शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास और प्रतिष्ठित उद्योग भागीदारों के सहयोग से 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शुभारंभ किया है। यह मंच छात्रों/शिक्षार्थियों को अग्रणी उद्योग और शैक्षणिक विशेषज्ञों की साझेदारी में उच्च गुणवत्ता वाले अधिगम और प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करता है, जिससे उन्हें पुनः कौशल प्राप्त करने, नए कौशल सीखने और रोजगार के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। इन पाठ्यक्रमों में मीडिया, संचार और व्यावहारिक कौशल जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए गैर-तकनीकी दक्षताओं को बढ़ाना है। शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी मद्रास ने अग्रणी उद्योग भागीदारों के साथ 65 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक 25 जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार, 16 विभिन्न क्षेत्रों में 400 से अधिक पाठ्यक्रम मंच पर उपलब्ध हैं, और 3 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने अपने कौशल संवर्धन के लिए नामांकन करवाया है।

शिक्षा मंत्रालय युवाओं को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) भी संचालित करता है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों में, यानी वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक, एनएटीएस योजना के तहत 12.94 लाख प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप दी गई। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 5.23 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप दी गई है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल का संचालन करता है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी की खोज और सुमेलन, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही स्थान पर सभी जानकारी देता है।

*****